न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2019 / 00096

1. कलावती पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी मसानीवाला हाल आबाद चक 13 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीया

बनाम

1. वीरोकौर पत्नि लालसिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 12 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) उपनिवेशन अधिनियम 1955 की शर्तें संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि वादी कलावती पत्नी ओमप्रकाश के नाम चक 13 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 138 / 33 में 23 बीघा भूमि दर्ज है। उसकी खातेदारी भूमि का किला नंबर 1,10,11,20 व 21 में 4–4 बिस्वा भूमि रास्ते के तौर पर दर्ज है। वादी का कहना है कि यह रास्ता पिछले 40 सालों से बंद है इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है इसलिए इसे रिकॉर्ड में से हटवाया जाए।

वादी और प्रतिवादी की दलीलों पर विचार किया गया। न्यायालय का यह निष्कर्ष है यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि यह प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8(2) के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस धारा के अंतर्गत काश्तकार को अधिकार है कि वह अपने खेत तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग कर सकें लेकिन इस धारा के तहत पूर्व में दर्ज रास्ते को विलोपित किए जाने का प्रावधान नहीं है।

दूसरा बिंदु यह है कि इस आधार पर कि कोई कटानी रास्ता कई सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा है उस कटानी रास्ते को विलोपित तक नहीं किया जा सकता है। इसलिए civil procedure code की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय यह निर्णय देता है कि इस प्रार्थना पत्र को ही स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी वीरो कौर पत्नी लाल सिंह को निर्देशित किया जाता है कि यदि आज की तारीख में यह रास्ता बंद है तो वह उसे खुद के स्तर पर खोलने की कोशिश नहीं करें बल्कि रास्ता खुलवाने के लिए तहसीलदार [illegible] प्रार्थना पत्र पेश करें।

निर्णय आज दिनांक .... को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:43:59 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)